राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवम् वित्त निगम

(भारत सरकार का उपक्रम ,अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय)

एनएमडीएफसी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ,भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है। निगम की स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम ,ईसाई ,सिख ,बौद्ध ,पारसी और जैन के बीच" पिछड़े वर्गों "के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है ,जिसमें प्राथमिकता व्यावसायिक समूहों और महिलाओं को दी जा रही है।

वार्षिक आय के आधार पर ,लक्ष्य समूह को दो क्रेडिट लाइनों में निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

•क्रेडिट लाइन-1 :- 3.00 लाख तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं।
•क्रेडिट लाइन-2:- 8. 00लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं।

एनएमडीएफसी संबंधित राज्य सरकारों और बैंकिंग भागीदारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों) एससीए सूची : www.nmdfc.org/SCA के माध्यम से अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करता है।

एनएमडीएफसी की योजनाएं

1. सावधि ऋण योजना

इस योजना के तहत ,आर्थिक रूप से व्यवहार्य आय सृजन उद्यमों के वित्तपोषण के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। । क्रेडिट लाइन- 1 के तहत 20 लाख रुपये तक और क्रेडिट लाइन- 2 के तहत 30 लाख रुपये तक का ऋण लाभार्थियों को क्रमशः6 % और8 % की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। इसके अलावा ,क्रेडिट लाइन-2 के तहत महिला लाभार्थियों को2 % की रियायत दी जाती है।

.2शिक्षा ऋण योजना

इस योजना के तहत पांच वर्ष से कम अवधि के नौकरी उन्मुख' तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों 'के लिए ऋण उपलब्ध है। क्रेडिट लाइन-1 और क्रेडिट लाइन-2 के तहत घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये और विदेशी पाठ्यक्रमों के लिए 30 लाख रुपये तक का ऋण लाभार्थियों को क्रमशः3 % प्रति वर्ष और 8% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। इसके अलावा ,क्रेडिट लाइन-2 के तहत महिला लाभार्थियों को3 % की रियायत दी जाती है।

3. सूक्ष्म वित्त योजना

इस योजना के तहत ,स्वयं सहायता समूहों) एसएचजी (के सदस्यों को ऋण दिया जाता है ,जिसमें मुख्य रूप से दूरदराज के गांवों और शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में निवास करने वाली अल्पसंख्यक महिलाएं शामिल हैं ,जो औपचारिक बैंकिंग ऋण का लाभ लेने में सक्षम नहीं हैं । योजना में एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को क्रेडिट लाइन- 1 के तहत 1 लाख रुपये और क्रेडिट लाइन- 2 के तहत1 . 5लाख तक की ऋण राशि क्रमशः7 % और10 % की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। क्रेडिट लाइन-2 के तहत महिला लाभार्थियों को2 % की छूट दी जाती है।

.4विरासत योजना

यह योजना सावधि ऋण योजना का हिस्सा है और उपकरण/उपकरण/मशीनरी/कच्चे माल की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी और निश्चित पूंजी को पूरा करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जाती है। क्रेडिट लाइन-1 और 2 के तहत अधिकतम रु .10.00 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। क्रेडिट लाइन-1 के तहत 5% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज और क्रेडिट लाइन-2 के तहत6 % की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाता है। दोनों क्रेडिट लाइनो के तहत महिला कारीगरों को 1% की रियायत प्रदान की जाती है।

		सावधि ऋण योजना	विरासत योजना	शिक्षा ऋण योजना		सूक्ष्म वित्त योजना	
क्रेडिट लाइन- I रुपये1 ,20,000/- शहरी क्षेत्रों के लिए और रु .98,000 -/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय		रु. 20.00 लाख	रु.10.00 लाख	घरेलू पाठ्यक्रम	विदेशी पाठ्यक्रम	व्यक्तिगत रूप से	स्वयं सहायता समूह (20 सदस्य तक)
				रु. 20.00 लाख	रु. 30.00 लाख	रु.1.00 लाख	रु.20.00 लाख
लाभार्थी के लिए ब्याज दर प्रति वर्ष		6%	पुरुषों के लिए 5% महिलाओं के लिए 4%	3%	3%	7%	7%
क्रेडिट लाइन -II रु. 8.00 लाख वार्षिक पारिवारिक आय		रु. 30.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु. 20.00 लाख	रु. 30.00 लाख	रु. 1.50 लाख	रु. 30.00 लाख
लाभार्थी के लिए ब्याज दर प्रति वर्ष	**पुरुष लाभार्थी**	8%	6%	8%	8%	10%	10%
	महिला लाभार्थी	6%	5%	5%	5%	8%	8%
अधिस्थगन अवधि		6 महीने	6 महीने	कोर्स पूरा होने या नौकरी मिलने के 6महीने बाद ,जो भी पहले हो।		3 महीने	
पुनर्भुगतान की अवधि		5 साल	5 साल	5 साल		3 साल	

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION

(A Government of India Undertaking, Ministry of Minority Affairs)

NMDFC
Development with Dignity

NMDFC is a Govt. Company under section 8 of Companies Act 2013, under the administrative control of Ministry of Minority Affairs, Government of India. The Corporation has been set up to promote economic development for the benefit of "Backward Sections" amongst the Minority Communities i.e. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Parsis & Jains, preference being given to the occupational group and women.

Based on annual income, target group bifurcated into two credit lines as follows:

- **Credit Line-1, the benefits are available for persons having annual family income of upto Rs.3.00 lacs.**
- **Credit Line-2, the benefits are available to persons with annual family income of upto Rs. 8.00 lacs.**

NMDFC implements its schemes & programs through State Channelizing Agencies (SCA list: www.nmdfc.org/SCA) nominated by the respective State Governments & Banking Partners.

Schemes of NMDFC

i. Term Loan Scheme

Under this scheme, credit is extended for financing economically viable income generation ventures. Loan of upto Rs. 20 lacs under Credit Line-1 and upto Rs. 30 lacs under Credit line -2 is extended to beneficiaries at 6% p.a. & 8% p.a. respectively. Further, concession of 2% is extended to women beneficiaries under Credit Line-2.

ii. Education Loan Scheme

Under this scheme, loan is available for job oriented 'technical and professional courses' of durations not exceeding five years. Loan of upto Rs. 20 lacs for domestic courses & Rs. 30 lacs for courses abroad under Credit Line-1 and Credit line -2 is extended to beneficiaries at 3% p.a. & 8% p.a respectively. Further, concession of 3% is extended to women beneficiaries under Credit Line-2.

iii. Micro-Finance Scheme

Under this Scheme, credit is extended to the members of the Self Help Groups (SHGs), predominantly comprising of the minority women scattered in remote villages and urban slums, who are not able to take advantage of the formal banking credit. Under the scheme, an amount of Rs. 1 lacs under credit Line-1 & upto Rs. 1.5 lacs under Credit Line-2 is extended to each member of SHG at interest rate of 7% & 10% respectively. Concession of 2% is extended to women beneficiaries under Credit Line-2.

iv. Virasat Scheme

This scheme is part of the Term Loan scheme and is implemented with the objective to meet Working Capital and Fixed Capital for purchase of equipment/tools/machineries/raw material. Maximum loan of upto Rs.10.00 lacs can be availed under Credit Line-1 & 2. Simple interest of 5% p.a. is charged under Credit Line-1 and at 6% p.a. from Male Artisan under Credit line- 2. Concession of 1% is provided to Female Artisan under both the Credit Lines.

Schemes > / Particulars			TERM LOAN	VIRASAT	EDUCATION LOAN		MICRO CREDIT	
					Domestic courses	Foreign Courses	Individually	SHG (upto 20 members)
Credit Line-I (Income level of ₹ 1,20,000/- for Urban areas & ₹ 98,000/- for Rural areas)	Max credit up to		Rs. 20.00 Lacs	Rs.10.00 lacs	Rs. 20.00 Lacs	Rs. 30.00 Lacs	Rs.1.00Lacs	Rs.20.00 Lacs
	Rate of Interest p.a. for beneficiary		6%	5% for males 4% for females	3%	3%	7%	7%
Credit Line –II (Income level of ₹ 8.00 lacs p.a.)	Max credit up to		Rs. 30.00 Lacs	Rs.10.00 lacs	Rs. 20.00 Lacs	Rs. 30.00 Lacs	Rs. 1.50 Lacs	Rs. 30.00 Lacs
	Rate of Interest for	Male beneficiary	8%	6%	8%	8%	10%	10%
		Female beneficiary	6%	5%	5%	5%	8%	8%
Moratorium Period (for both Credit lines)			6 months	6 months	6 months after course completion or getting job, whichever is earlier.		3 months	
Repayment Period (for both Credit lines)			5 yrs	5 yrs	5 yrs		3 yrs	